Dainik Jagran dated 21 Dec. 2014
http://epaper.jagran.com/ePaperArticle/21-dec-2014-edition-Delhi-City-page_3-1741-8055-4.html

अगले माह लागू हो सकती है लैंड पूलिंग पॉलिसी

द्वारका, रोहिणी व नरेला में खाली पड़ी जमीन पर विकसित की जाएंगी स्मार्ट सिटी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : रीयल एस्टेट कंपनियों को आवास निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराने की इजाजत देने वाली लैंड पूलिंग पॉलिसी जनवरी के अंत तक जमीन पर उतर सकती है। यह पॉलिसी आवास समस्या को दूर कर दिल्ली का स्वरूप बदलेगी। पॉलिसी के माध्यम से द्वारका, रोहिणी व नरेला में खाली जमीन पर स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी। स्मार्ट सिटी में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

एनसीआर की तर्ज पर बनेंगी बहुमंजिली इमारतें

गौरतलब है कि डीडीए ने एनसीआर में बनीं बहुमंजिली इमारतों की तर्ज पर राजधानी में ऐसी ही इमारतें बनाने की योजना बनाई है। डीडीए के अधिकारियों की मानें तो एनसीआर की दो दर्जन से अधिक रीयल एस्टेट कंपनियां दिल्ली की ओर रुख करने को तैयार हैं। उन्हें लैंड पूलिंग पॉलिसी के जमीन पर उतरने का इंतजार है। डीडीए बोर्ड पिछले माह ही पॉलिसी को पास कर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेज चुका है। डीडीए का कहना है कि मंत्रालय पॉलिसी को बेहद गंभीरता से ले रहा है और माना जा रहा है कि जनवरी तक मंत्रालय की ओर से इसे हरी झंडी मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए अलग से विभाग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस विभाग में आयुक्त का एक व निदेशक के दो पद होंगे। इसके अलावा दो सलाहकार भी नियुक्त करने की योजना है। ये सलाहकार खाली पड़ी जमीन पर विश्वस्तरीय सुविधाएं जुटाने में मदद करेंगे। दिल्ली में 20 से 24 हजार हेक्टेयर जमीन ऐसी है, जिसे लैंड पूलिंग योजना में शामिल किया जा सकता है। पॉलिसी के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया जा चुका है।

- बहुमंजिली इमारतों को बनाने का रास्ता होगा साफ
- आवास समस्या को दूर कर दिल्ली का स्वरूप बदलेगी पॉलिसी

हम केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यह मान कर चल रहे हैं कि जनवरी तक पॉलिसी को स्वीकृति मिल सकती है।
-बलविंदर कुमार, उपाध्यक्ष, डीडीए

किसानों को होगा फायदा

पॉलिसी के बाद किसानों को अपनी जमीन की कीमत भी पहले की अपेक्षा अधिक मिल सकेगी। क्योंकि किसानों की जमीन खरीदने के लिए बिल्डरों में प्रतिस्पर्धा होगी। इससे किसान को लाभ होगा। आवासीय परिसर विकसित करने तक बिल्डर को किसानों को साथ रखना होगा। क्योंकि जमीन के मामले में डीडीए में सभी कागजी कार्रवाई किसानों की ओर से ही की जाएगी।

क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी

पॉलिसी के तहत श्रेणी नंबर एक में 2 से 20 हेक्टेयर जमीन वाले किसान/बिल्डर शामिल होंगे। इन किसानों की 60 फीसद जमीन डीडीए सड़क, बिजली-पानी तथा सीवर लाइन व अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए ले लेगा और 40 फीसद जमीन किसानों को वापस कर देगा। इस 40 फीसद जमीन पर बिल्डर फ्लेट बनाएंगे।

श्रेणी नंबर दो

यह श्रेणी 20 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के मालिक किसानों की होगी। इस श्रेणी में 60 फीसद जमीन किसान/बिल्डर को मिलेगी व 40 फीसद जमीन डीडीए के पास रहेगी। दोनों श्रेणियों में जो जमीन किसानों व बिल्डरों को मिलेगी उसका 53 फीसद हिस्सा आवासीय, 5 फीसद व्यावसायिक व 2 फीसद सामुदायिक सेवाओं के लिए आरक्षित होगा। किसानों व बिल्डरों को 15 फीसद जमीन पर ईडब्ल्यूएस फ्लेट बनाना अनिवार्य होगा।

http://epaper.jagran.com/ePaperArticle/21-dec-2014-edition-Delhi-City-page_3-1741-8055-4.html